संख्या सा–3– 958 /दस–2011–308/97टी.सी

प्रेषक,

नील रतन कुमार
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1– निदेशक, पेंशन,उ0प्र0,
इन्दिरा भवन, लखनऊ ।

2– निदेशक, कोषागार, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

3– समस्त मुख्य/वरिष्ठ/ कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 03 अगस्त, 2011

विषय : दिनांक 01–01–2006 के पूर्व सेवानिवृत्त न्यायिक/ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों की पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का संशोधन ।

महोदय,

दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त न्यायिक/ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संशोधन विषयक शासनादेश संख्या सा–3–2036/दस–2010–308/97,टी.सी. दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 के संदर्भ में प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त न्यायिक / उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों की पेंशन का समेकन करते समय पेंशन की धनराशि में कोषागारों द्वारा अनुपातिक कटौती की जा रही है।

2– उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 के क्रम में मुझे यह स्पष्ट किये जाने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त उत्तर प्रदेश न्यायिक / उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को नियुक्ति अनुभाग–4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2977/दो–4–10–45 (12)/91,टी.सी–VI दिनांक 04 नवम्बर, 2010 के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत पेंशन, दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित किये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या सा–3–1515/दस–2008–308 /97 दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के साथ संलग्न रेडी रेक्नर का उपयोग किया जाय। इसी प्रकार, दिनांक 01 जनवरी, 2006 को न्यूनतम पेंशन का निर्धारण करने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या सा–3–1358/दस–2010, दिनांक 19 जुलाई, 2010 के साथ संलग्न तालिका का उपयोग किया जाय। दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त न्यायिक सेवा/ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों की पेंशन उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा

19 जुलाई, 2010 के साथ संलग्न तालिकाओं का उपयोग करते हुये, दिनांक 01 जनवरी, 2006 से समेकित (**consolidate**) की जानी है। इस प्रकिया में पेंशन का पुनर्आगणन नहीं किया जाना है।

भवदीय,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव ।

संख्या सा–3– 958 (1)/दस–2011–308/97,टी.सी.तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।
2– अपर निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालये, इलाहाबाद ।
3– समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश ।
4– समस्त अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश ।
5– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, इलाहाबाद।
6– निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
7– निदेशक, पेंशन उत्तराखण्ड, देहरादून ।
8– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) देहरादून ।
9– नियुक्ति अनुभाग–4
10– प्रभारी अधिकारी, निकनेट सेल, नवीन भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय ।
11– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव ।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 39 सा0 वित्त–12–8–2011–(767)–3000+2 प्रतियां–(कम्प्युटर/टी/आफसेट)।